महत्वपूर्ण/प्राथमिकता

संख्या- 17/2016/एन0जी0ओ0 36/84-2-2016-सीपी 16/2003

प्रेषक,

सुधीर गर्ग,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 28 जुलाई, 2016

विषय उपभोक्ता कल्याण कोष से स्वैच्छिक संगठनों को उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम हेतु अनुदान दिये जाने के संबंध में प्राप्त प्रस्तावों की जांच कराकर आख्या एवं संस्तुति शासन को उपलब्ध कराया जाना ।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यह अधिक प्रासंगिक है कि उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाय जिससे वह अपने अधिकारों का प्रयोग कर उपभोक्ता न्यायालयों के माध्यम से समुचित न्याय प्राप्त कर सके। इसके दृष्टिगत उपभोक्ता जागरूकता को बढावा देने के उद्देश्य से प्रदेश शासन द्वारा राज्य उपभोक्ता कल्याण कोष का गठन किया गया है। इस कोष से उपभोक्ता कल्याणकारी कार्यो में लगे हुए समन्वय अभिकरण/स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता/अनुदान के रूप में अधिकतम रूपये 02 लाख की धनराशि (रूपये एक-एक लाख की दो किस्तों में) दिये जाने की व्यवस्था है। इसी क्रम में शासन के पत्र संख्या-सीपी 1004/29-8-2006-सीपी 16/03, दिनांक 13.10.2006 द्वारा गठित जनपद स्तरीय कमेटी की, शासनादेश दिनांक 17.09.2008 द्वारा निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों के आलोक में प्राप्त संस्तुति के आधार पर समन्वय अभिकरण/स्वैच्छिक संगठन को वित्तीय सहायता दिये जाने की प्रक्रिया निर्धारित है।

2 उक्त निर्धारित प्रक्रिया में जिले की भूमिका महत्वपूर्ण है। अत: समस्त जिलाधिकारियों से यह अपेक्षा की गई थी कि शासन द्वारा निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों के आलोक में प्रस्ताव प्राप्त कर उनका परीक्षण करते हुए तय समयसीमा के अंदर शासन को उपलब्ध करायें। तदुपरांत शासन के पार्श्वांकित पत्रों के माध्यम से अनुस्मरण कराये जाने के बावजूद अधिकांशत: जिलों से समुचित प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं। इससे उपभोक्ता जागरूकता का कार्य बुरी तरह प्रभावित हो रहा है।

1. 28/2015/एनजीओ 32/84-2-2015-सीपी 16/2003, दिनांक 12.10.2015
2. 36/2015/एनजीओ 39/84-2-2015-सीपी 16/2003, दिनांक 14.12.2015
3. 4/2016/एन0जी0ओ0 2/84-2-2016-सीपी 16/2003, दिनांक 28.01.2016

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3. अत: वर्णित स्थिति में मुझे पुन: यह अनुरोध करने का निदेश हुआ है कि व्यक्तिगत रूचि लेकर उपभोक्ता जागरूकता को बढावा देने हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार कराते हुए उपभोक्ता कल्याण कोष से वित्तीय सहायता/अनुदान दिये जाने के सम्बन्ध में निर्गत मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुरूप प्रस्ताव प्राप्त कर नियमानुसार संस्तुति सहित शासन को एक माह में निश्चित रूप से उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

सुधीर गर्ग
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि समस्त जिला पूर्ति अधिकारियों को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि जनपद स्तर पर प्राप्त स्वैच्छिक संगठनों पर निर्णय लिये जाने हेतु जिला स्तरीय कमेटी के संयोजक होने के फलस्वरूप उपभोक्ता जागरूकता को बढावा देने हेतु उपभोक्ता कल्याणकारी कार्यो में लगे हुए समन्वय अभिकरण/स्वैच्छिक संगठनों का अधिक से अधिक प्रस्ताव प्राप्त हो, इस निमित्त जिले स्तर पर प्रचार-प्रसार कराकर उक्त प्रस्तर-1 एवं 2 के अनुसार जिले स्तर पर कार्यवाही पूर्ण कराने के पश्चात स्वैच्छिक संगठनों के प्रस्ताव जिलाधिकारी के माध्यम से शासन को एक माह में निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,

सुधीर गर्ग
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।